



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा-2025

साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकृत अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची

विज्ञापित क्र.-...14375.../52/2025/अनु.-10

इंदौर दिनांक :- 21/01/2026

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा-2025 हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

01/ विज्ञापन क्रमांक-04/2025/23.06.2025, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 10.08.2025।

(1)	शुद्धिपत्र क्रमांक-01/04/2025 दिनांक 23.07.2025 (खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा-2025 के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र के पूर्णांक यथावत रखते हुए प्रश्नों पर अभ्यर्थियों से आपत्तियाँ प्राप्त करने संबंधित दिशा-निर्देश)।
(2)	सूचना पत्र क्रमांक-01/04/2025 दिनांक 02.09.2025 (खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा-2025 के पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा पुनः प्रारंभ करने विषयक सूचना)।
(3)	सूचना पत्र क्रमांक-02/02/2025 दिनांक 11.11.2025 (सहायक अनुसंधान अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा-2025 की परीक्षा के आयोजन की सूचना)।
(4)	शुद्धिपत्र क्रमांक-03/04/2025 दिनांक 19.01.2026 (खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा-2025 के पदों की संख्या में वृद्धि की सूचना)।

02/ उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा-2025 संभागीय मुख्यालय इंदौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर के केन्द्रों पर दिनांक 14.12.2025 (रविवार) को एक सत्र में 12:00 से 03:00 बजे तक आयोजित की गई थी।

03/ उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसार है :-

श्रेणीवार/वर्गवार कुल विज्ञापित							
क्र.	विवरण	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या (TOTAL POST)	30	17	28	38	10	123
(ब)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (FEMALE)	11	6	10	13	4	44
(स)	कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (ExSer)	3	2	3	4	1	13
(द)	कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद रिक्तियों की संख्या (PH)	(PH-LD-4, HH-8)					12

04/ अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित लंबित न्यायालयीन प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के प्रकाश में सामान्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल द्वारा जारी "पत्र क्रमांक-एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 29 सितंबर 2022" के अनुक्रम में विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक-04/2025/23.06.2025 के अनुसार आयोग द्वारा बैठक दिनांक 10.07.2023 के निर्णय क्र.-55 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुपालन में तथा विद्यमान नियमानुसार लघुसूचीकृत अर्ह अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई है।

अर्हता सूची तैयार किए जाने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है :-

1. सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त पत्रानुसार प्रारंभिक परीक्षा/लिखित परीक्षा में चयनित (शॉर्टलिस्टेड) प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थी परीक्षा के अगले प्रत्येक चरण (मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार) में प्रावधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित) में रोके गए 13 प्रतिशत पद के विरुद्ध ही चयनित होंगे न कि पूर्व घोषित हो चुके 87 प्रतिशत पद के विरुद्ध।


[Signature]
21.1.2026

2. परीक्षा परिणामों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित) में अर्ह अभ्यर्थी अपने अपने भाग में ही बने रहेंगे। चयन के किसी भी स्तर पर ये एक दूसरे से अंतर परिवर्तन (इंटरचेंज) हेतु दावा नहीं कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया के प्रत्येक अगले चयन हेतु इस आशय का अभिवचन पत्र भी अभ्यर्थियों से अनिवार्यतः प्राप्त किया जाए।

सामान्य प्रशासन विभाग के "पत्र क्रमांक-एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 29 सितंबर 2022" में दिए गए निर्देशों एवं आयोग के निर्णय अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा-2025 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग में घोषित किया जाना है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा-2025 हेतु मुख्य भाग 87 प्रतिशत (14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों) तथा (ब) प्रावधिक भाग 13 प्रतिशत (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित श्रेणी हेतु) पदों का विवरण विज्ञापन में ही प्रकाशित किया गया है। विज्ञापन के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा-2025 हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के विज्ञापित पदों का रिक्ति विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र.	अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विज्ञापित कुल पद	मुख्य भाग 87 प्रतिशत (14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों)	प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित श्रेणी हेतु)
01	38	24	14

खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा-2025 में मुख्य भाग (अ) के लिए साक्षात्कार हेतु कुल विज्ञापित पदों के 3 गुना+समान अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकृत कुल-382 अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :-



अविरत /

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
FOOD SAFETY OFFICER EXAM 2025 - PART A (MAIN)
ROLL NUMBER WISE LIST OF CANDIDATES PROVISIONALLY SHORTLISTED FOR INTERVIEW

S.NO.	ROLLNO	S.NO.	ROLLNO	S.NO.	ROLLNO	S.NO.	ROLLNO	S.NO.	ROLLNO
1.	100022	37.	102021	73.	105341	109.	107657	145.	109366
2.	100189	38.	102221	74.	105381	110.	107684	146.	109461
3.	100256	39.	102229	75.	105388	111.	107735	147.	109465
4.	100309	40.	102270	76.	105409	112.	107736	148.	109476
5.	100474	41.	102607	77.	105639	113.	107743	149.	109528
6.	100494	42.	102747	78.	105668	114.	107759	150.	109541
7.	100500	43.	102810	79.	105951	115.	107814	151.	109589
8.	100541	44.	102928	80.	105985	116.	107866	152.	109745
9.	100593	45.	103039	81.	106011	117.	107891	153.	109856
10.	100640	46.	103218	82.	106051	118.	107927	154.	109873
11.	100678	47.	103226	83.	106059	119.	107970	155.	109936
12.	100700	48.	103244	84.	106088	120.	107988	156.	109938
13.	100772	49.	103290	85.	106091	121.	108005	157.	110006
14.	100773	50.	103339	86.	106305	122.	108012	158.	110029
15.	100786	51.	103448	87.	106412	123.	108023	159.	110031
16.	100882	52.	103505	88.	106532	124.	108071	160.	110131
17.	100949	53.	103552	89.	106613	125.	108203	161.	110236
18.	101010	54.	103613	90.	106714	126.	108242	162.	110249
19.	101013	55.	103730	91.	106734	127.	108297	163.	110381
20.	101034	56.	103807	92.	106762	128.	108534	164.	110593
21.	101088	57.	103950	93.	106802	129.	108848	165.	110616
22.	101116	58.	103982	94.	106933	130.	108864	166.	110711
23.	101171	59.	104156	95.	106941	131.	108872	167.	110720
24.	101177	60.	104207	96.	107024	132.	108946	168.	110747
25.	101296	61.	104253	97.	107055	133.	108955	169.	110758
26.	101322	62.	104260	98.	107102	134.	108964	170.	110778
27.	101340	63.	104295	99.	107149	135.	108977	171.	110779
28.	101391	64.	104372	100.	107183	136.	108997	172.	110787
29.	101520	65.	104388	101.	107208	137.	109016	173.	110939
30.	101556	66.	104778	102.	107269	138.	109101	174.	110971
31.	101587	67.	104947	103.	107338	139.	109173	175.	111090
32.	101835	68.	104978	104.	107348	140.	109189	176.	111178
33.	101883	69.	105053	105.	107361	141.	109231	177.	111374
34.	101899	70.	105171	106.	107370	142.	109285	178.	111392
35.	101966	71.	105287	107.	107378	143.	109348	179.	111554
36.	101987	72.	105326	108.	107483	144.	109352	180.	111616

Himale

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
FOOD SAFETY OFFICER EXAM 2025 - PART A (MAIN)
ROLL NUMBER WISE LIST OF CANDIDATES PROVISIONALLY SHORTLISTED FOR INTERVIEW

S.NO.	ROLLNO	S.NO.	ROLLNO	S.NO.	ROLLNO	S.NO.	ROLLNO	S.NO.	ROLLNO
181.	111637	217.	114286	253.	116537	289.	123267	325.	129592
182.	111653	218.	114359	254.	116602	290.	123332	326.	129910
183.	111790	219.	114402	255.	116612	291.	123339	327.	129956
184.	111796	220.	114425	256.	116668	292.	123516	328.	130239
185.	111868	221.	114496	257.	116695	293.	123615	329.	130368
186.	111913	222.	114527	258.	116748	294.	123970	330.	130475
187.	112095	223.	114584	259.	116898	295.	124096	331.	130714
188.	112143	224.	114622	260.	116954	296.	124273	332.	131072
189.	112314	225.	114627	261.	117668	297.	124628	333.	131744
190.	112376	226.	114694	262.	117869	298.	124825	334.	131922
191.	112542	227.	114745	263.	117890	299.	124885	335.	133025
192.	112659	228.	114842	264.	118275	300.	124893	336.	133079
193.	112684	229.	114975	265.	118355	301.	125034	337.	133087
194.	112724	230.	115108	266.	118712	302.	125580	338.	133095
195.	112784	231.	115125	267.	118927	303.	125671	339.	133193
196.	112797	232.	115131	268.	119344	304.	125835	340.	133223
197.	112853	233.	115246	269.	119383	305.	126014	341.	133314
198.	112906	234.	115292	270.	119815	306.	126125	342.	133492
199.	112995	235.	115342	271.	119944	307.	126296	343.	133503
200.	113010	236.	115540	272.	120206	308.	126425	344.	133961
201.	113134	237.	115549	273.	120232	309.	127801	345.	134161
202.	113160	238.	115577	274.	120497	310.	128247	346.	134339
203.	113204	239.	115589	275.	120517	311.	128464	347.	134498
204.	113292	240.	115618	276.	120843	312.	128487	348.	134568
205.	113297	241.	115630	277.	121044	313.	128726	349.	134572
206.	113380	242.	115665	278.	121299	314.	128733	350.	134683
207.	113415	243.	115780	279.	121437	315.	128871	351.	134766
208.	113579	244.	115799	280.	122201	316.	128925	352.	134784
209.	113702	245.	115874	281.	122606	317.	128937	353.	135155
210.	113751	246.	116094	282.	122736	318.	128941	354.	135418
211.	113937	247.	116110	283.	122751	319.	129125	355.	135443
212.	114035	248.	116217	284.	122924	320.	129172	356.	135460
213.	114060	249.	116317	285.	123015	321.	129253	357.	135891
214.	114066	250.	116352	286.	123091	322.	129356	358.	136030
215.	114213	251.	116402	287.	123152	323.	129389	359.	136319
216.	114269	252.	116420	288.	123214	324.	129588	360.	136497



MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
FOOD SAFETY OFFICER EXAM 2025 - PART A (MAIN)
ROLL NUMBER WISE LIST OF CANDIDATES PROVISIONALLY SHORTLISTED FOR INTERVIEW


S.NO.	ROLLNO
361.	136813
362.	137030
363.	137094
364.	137377
365.	137544
366.	137643
367.	138211
368.	138286
369.	138434
370.	138573
371.	139074
372.	139828
373.	140040
374.	140524
375.	140557
376.	140598
377.	141131
378.	141388
379.	141999
380.	142013
381.	142084
382.	142440



खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा-2025 के प्रावधिक भाग-ब के लिए साक्षात्कार हेतु कुल विज्ञापित पदों के 3 गुना+समान अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकृत कुल-98 अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
FOOD SAFETY OFFIER EXAM 2025 - PART B (PROVISIONAL)
ROLL NUMBER WISE LIST OF CANDIDATES PROVISIONALY SHORTLISTED FOR INTERVIEW

S.NO.	ROLLNO	S.NO.	ROLLNO	S.NO.	ROLLNO
1.	100621	37.	112146	73.	124061
2.	100924	38.	112417	74.	124131
3.	101273	39.	112636	75.	124205
4.	101601	40.	112911	76.	124732
5.	101720	41.	112916	77.	124905
6.	101753	42.	112923	78.	125966
7.	101872	43.	112958	79.	129263
8.	102215	44.	113076	80.	129311
9.	102872	45.	113087	81.	129990
10.	102882	46.	113719	82.	130210
11.	102949	47.	113756	83.	132012
12.	103083	48.	113914	84.	132704
13.	103112	49.	114084	85.	133460
14.	103366	50.	114746	86.	133566
15.	103783	51.	114899	87.	134010
16.	104266	52.	115130	88.	135234
17.	104467	53.	115173	89.	135570
18.	104886	54.	115284	90.	136525
19.	105070	55.	115390	91.	138252
20.	105164	56.	115494	92.	138970
21.	105372	57.	115543	93.	139499
22.	105717	58.	115565	94.	140819
23.	106785	59.	116271	95.	140873
24.	107312	60.	116490	96.	141094
25.	107655	61.	116627	97.	141754
26.	107898	62.	116962	98.	142364
27.	107979	63.	117514		
28.	108039	64.	118435		
29.	108120	65.	118858		
30.	108570	66.	119101		
31.	108892	67.	120770		
32.	109104	68.	121172		
33.	109178	69.	123002		
34.	110897	70.	123168		
35.	111288	71.	123613		
36.	111710	72.	123749		



साक्षात्कार हेतु लिए अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निर्देश :-

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

परिशिष्ट प्रपत्र-01

विज्ञापन क्रमांक :- 04 / 2025 / 23.06.2025		पद/परीक्षा का नाम : — खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा-2025	
अनुक्रमांक—		अभ्यर्थी का नाम :-	
1.	उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्रमांक	से तक
2.	उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्रमांक	से तक
3.	उपस्थिति पत्रक-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक	से तक
4.	व्यक्तिगत विवरण पत्रक-1 मूल प्रति एवं 5 छायाप्रतियां। (केवल मूल प्रति पर नम्बरिंग करना है। 05 छायाप्रतियां पृथक से प्रस्तुत करना है एवं छायाप्रतियों पर नम्बरिंग नहीं करना है।)	पृष्ठ क्रमांक	से तक
5.	अनुप्रमाणन फॉर्म-3 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक	से तक
6.	घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा से विवर्जित (Debar) नहीं होने संबंधी) 01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक	से तक
7.	हाई स्कूल की अंकसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक	से तक
8.	हायर सेकेंडरी की अंकसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक	से तक
9.	विज्ञापन अनुसार अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता संबंधी स्नातक/स्नातकोत्तर समस्त वर्षों की अंकसूचियां/उपाधि की छायाप्रतियां। (ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 30.10.2025 अथवा उसके पूर्व जारी)	पृष्ठ क्रमांक	से तक
10.	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र। (आयोग कार्यालय में अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक	से तक
11.	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की प्रति। (प्रमाण-पत्र में प्रकरण क्रमांक, गोलसील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) (ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 30.10.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक	से तक
12.	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र। (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।) (म.प्र. शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।) ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 30.10.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक	से तक
13.	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र-01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक	से तक
14.	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने के स्थिति में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए वित्तीय वर्ष 2025-2026 का जारी ई.डब्ल्यू.एस. के वैध प्रमाण पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्रमांक	से तक
15.	महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाहोपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक	से तक
16.	दिव्यांग होने की स्थिति में दिव्यांगता के प्रमाण पत्र की प्रति। (ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 30.10.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक	से तक
17.	भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी दस्तावेज की प्रति एवं सेवावधिके विवरण पत्रक की प्रति। (ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 30.10.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक	से तक
18.	शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति। अनापत्ति प्रमाण-पत्र न हो तो ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 30.10.2025 अथवा उसके पूर्व जारी विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत पत्र की प्रति संलग्न करें। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक	से तक
19.	मध्यप्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक	से तक
20.	अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र। (आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र/पेन कार्ड/फोटोयुक्त बैंक पास बुक की प्रति/शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/झायविंग लायसेंस) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक	से तक
21.	न्यायालयीन प्रकरण होने की स्थिति में अनुप्रमाणन फॉर्म के पृष्ठ 4 कंडिका 16 एवं पृष्ठ 5 पर कंडिका 17 में अंकित न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में दस्तावेजों की छायाप्रति। (3 प्रति)	पृष्ठ क्रमांक	से तक
22.	आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत) के आधार अभ्यर्थी "अभिवचन" पत्र की पूर्ति कर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।	पृष्ठ क्रमांक	से तक
23.	अन्य कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है।	पृष्ठ क्रमांक	से तक
कुल संलग्नक दस्तावेजों की संख्या (अंकों में)			

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर:-.....

अविरत /

05/ साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थी विज्ञापन अनुसार वांछित अपनी अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख उपरोक्त परिशिष्ट प्रपत्र-01 अनुसार क्रम में प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्न दस्तावेज के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर दिनांक 05.02.2026 तक आयोग कार्यालय प्रेषित करें। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने अभिलेख आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी एवं अभिलेखों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरांत सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।


06/ ऐसे आवेदक जिनके अभिलेख आयोग कार्यालय में दिनांक 05.02.2026 तक प्राप्त नहीं होते हैं वे आयोग द्वारा निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ निर्धारित समयावधि में अपने अभिलेख आयोग कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर विलंब शुल्क की नगद राशि एम.पी.टी.सी. 6 के माध्यम से आयोग की लेखा शाखा में जमा कर सकते हैं :-

01.	निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्रथम 05 कार्यालयीन दिवस तक राशि रुपये 3,000 /- (तीन हजार मात्र)।	दिनांक 06/02/26 से 12/02/26 तक
02.	साक्षात्कार हेतु आमंत्रण पत्र जारी होने के दिनांक के 01 दिवस पूर्व तक राशि रुपये 25,000 /- (पच्चीस हजार मात्र)।	-

उपरोक्तानुसार विलंब शुल्क के साथ निर्धारित तिथियों के पश्चात् डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए आवेदकों के अभिलेख प्राप्त होने पर आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगा, न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा तथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरांत सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार हेतु दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।

महत्वपूर्ण टीप :-

1. सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधिक हैं। यदि अभ्यर्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा-2025 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा-2025 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
3. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
4. ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर विवर्जित (Debar) भी किया जा सकता है।
5. साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से लघुसूचीकृत अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा परिणाम की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।
6. उपरोक्त परीक्षा से संबंधित प्रचलित न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम याचिकाओं में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।




अविरत /

7. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
8. अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख दिनांक 05.02.2026 तक निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें :-
प्रति,

सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी एरिया,
इंदौर

अभ्यर्थी अपने अभिलेख के लिफाफे पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा-2025 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख अवश्य लिखें।


21.1.2025
उप परीक्षा नियंत्रक